

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-884 / 2012

संस्थित दिनांक-06.11.2012

फाइलिंग क्र.234503001802012

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

कैलाश बिसेन पिता औसीलाल, उम्र-41 वर्ष, जाति पंवार
 निवासी-ग्राम सोजरियाटोला(पीपरटोला),
 थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-29/11/2017 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325, 506 भाग-2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-03.10.12 को शाम 5:00 बजे, ग्राम पीपरटोला (सोजरियाटोला) आम रास्ता आंगनवाड़ी के सामने बिरसा थाना अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादिया उमेश्वरीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादिया को बांस की लाठी से मारपीट कर बांये हाथ में अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित कर, संत्रास कारित करने के आशय से फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया उमेश्वरी तुरकर ने पुलिस थाना बिरसा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक-03.10.2012 को शाम 5:00 बजे, आंगनवाड़ी बाउण्ड्री के अंदर लगे हेण्डपंप से घघरी में पानी भरकर लौट रही थी कि आंगनवाड़ी के सामने रोड पर गांव का कैलाश पवार फरियादिया के पास आया था और बोला था कि मादरचोद, तेरी माँ-बहन की चोदू, उसने साईकिल चोरी में उसके विरुद्ध गवाही दी थी, कहते हुए हाथ में रखी बांस की लकड़ी से फरियादिया के सिर, पीठ, कंधे, दाहिने पैर पर मार दिया था। फरियादिया के बचाओ-बचाओ चिल्लाने पर फरियादिया का पति संतोष, चाचा ससुर नेकलाल तुरकर तथा देवर प्रदीप तुरकर आए थे, जिनको देखकर अभियुक्त कैलाश डण्डा फेंककर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।

पुलिस थाना बिरसा ने फरियादिया का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादिया की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-123/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

3- प्रकरण में अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया, समझाया गया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-03.10.2012 को शाम 5:00 बजे, ग्राम पीपरटोला(सोजरियाटोला) आम रास्ता आंगनवाड़ी के सामने बिरसा थाना अंतर्गत लोकस्थान पर फरियादिया उमेश्वरीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को बांस की लाठी से मारपीट कर बांये हाथ में अस्थिभंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की थी ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण उक्त सभी विचरणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- उमेश्वरी अ.सा.01 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पिछले वर्ष शाम को पांच बजे की उसके आंगन के सामने की है। घटना के समय वह पानी लेकर आ रही थी। अभियुक्त ने उसके सिर में लठ मार दिया था जिससे वह गिर गयी थी। साक्षी को कंधे और पीठ में चोट लगी थी, सिर में टांके लगे थे। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में की थी जो प्र.पी.01 है। साक्षी को रिपोर्ट पढ़ा जाने पर साक्षी ने ऐसी रिपोर्ट

लिखाया जाना स्वीकार किया था। पुलिस ने साक्षी का ईलाज बिरसा अस्पताल में कराया था। इसके बाद साक्षी का ईलाज बालाघाट अस्पताल में हुआ था। अभियुक्त ने फरियादिया के साथ साईकिल चोरी के विवाद को लेकर मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 03.10.2012 की है।

8— नेकलाल तुरकर अ.सा.08 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की ग्राम पीपरटोला के सोनझरियाटोला की दिने के 04:00 बजे की है। घटना के समय साक्षी बकरी चराकर आया था। अभियुक्त फरियादिया उमेश्वरी को बांस के डंडे से मार रहा था। अभियुक्त उमेश्वरी को मादरचोद की गाली दे रहा था, गालियां सुनने में बुरी लग रही थीं। साक्षी ने घटना में बीच बचाव कर उमेश्वरी को छुड़ाया था। उसके बाद अभियुक्त उसके घर चला गया था। उमेश्वरी को ईलाज के लिए बिरसा ले गये थे जहाँ उसका ईलाज हुआ था उसके बाद बालाघाट ले गये थे। पुलिस ने साक्षी के सामने अभियुक्त से बांस का डंडा प्र.पी.03 के जप्ती पंचनामा के अनुसार जप्त किया था। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त फरियादिया से कह रहा था कि मादरचोद तेरी मां बहन को चोदू तूने साईकिल चोरी में उसके खिलाफ गवाही दी है। अभियुक्त ने लाठी फेंककर उमेश्वरी को जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने अपने पुलिस बयान में यह बताया है कि वह दिनांक 03.10.2012 को शाम के करीब पांच बजे बाड़ी तरफ काम कर रहा था एवं बकरी चरा रहा था।

9— संतोष अ.सा.07 का कहना है कि फरियादिया उसकी पत्नी है। घटना वर्ष 2012 की शाम के समय की है। घटना के समय वह काम पर गया था। लौटकर वापस आया था तो झगड़े की आवाज सुनाई दी थी। साक्षी ने देखा था तो अभियुक्त साक्षी की पत्नी उमेश्वरी को आंगन पर रोड़ के सामने साईकिल चोरी में गवाही दी है कहकर बांस की लाठी से मार दिया था। जिससे फरियादिया को टांके लगे थे। अस्पताल से लौटने के बाद साक्षी ने उसकी पत्नी को थाना ले कर जाकर अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। साक्षी को उसकी पत्नी ने बताया था कि अभियुक्त ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी थी। घटना को सगनीबाई और पुसउ ने देखी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में साक्षी के बयान लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 03.10.2012 की

है। साक्षी की पत्नी को अभियुक्त द्वारा लाठी से मारपीट करने के कारण हाथ, पैर, सिर में चोट आयी थी। अभियुक्त जाते समय जान से मारने की धमकी दे रहा था। रिपोर्ट करने के बाद साक्षी की पत्नी का मेडिकल परीक्षण हुआ था।

10— प्रदीप कुमार अ.सा.02 ने उसके कथन में बताया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से पांच माह पूर्व की है। घटना दिनांक को वह बाहर गया था। जब वह वापस आया था तो उसे पता लगा था कि अभियुक्त ने आहत उमेश्वरी के साथ बांस के डंडे से मारपीट की थी। उमेश्वरी को बालाघाट ईलाज के लिए लेकर गये थे। पुलिस ने साक्षी के समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी. 02 बनाया गया था जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल पर पुलिस ने साक्षी के सामने कोई जप्ती नहीं की थी। जप्ती पंचनामा प्र.पी.03 पर साक्षी ने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

11— कौशनबाई अ.सा.03 ने कथन किया है कि कैलाश मानकलाल का भांजा है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 10-11 माह पूर्व की है। घटना के समय अभियुक्त ने साक्षी की बहु को डंडे से मार दिया था। उसके बाद साक्षी ने उसे घटनास्थल से उठाया था। साक्षी उसकी बहु को ईलाज के लिए बिरसा अस्पताल ले गयी थी। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे।

12— हेमा बिसेन अ.सा.05 का कहना है कि वह दिनांक 03.10.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थीं। उक्त दिनांक को आरक्षक भिमराज क्र. 1020 उमेश्वरी को परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत का परीक्षण करने पर आहत को निम्न उपहतियां पायीं थी— चोट क्र01 एक कटा फटा घाव, जिसका आकार 3 गुणा, 1 गुणा 2 इंच का सिर के पिछले भाग पर था। चोट क्र02 तीन गुणा एक इंच का दो कंटुजन एक दूसरे के समानांतर दाहिने हाथ पर कोहनी के नीचे था। चोट क्र.03 तीन गुणा एक इंच का एक कंटुजन बायें हाथ के पंजे पर था। चोट क्र04 तीन गुणा एक इंच का दो कंटुजन एक दूसरे के समानांतर बायें हाथ पर कोहनी के नीचे था। चोट क्र05 आधा गुणा आधा इंच का एक कंटुजन उपरी ओठ पर थी। चोट क्र06 तीन गुणा दो गुणा एक इंच का एक कंटुजन पीठ के बायें साईड पर था। चोट क्र07 तीन गुणा दो गुणा एक इंच का एक कंटुजन पीठ के दाये साईड पर था। चिकित्सक साक्षी के अभिमत में आहत को उक्त सभी चोटे कड़ी व बोथरी वस्तु से मेडिकल परीक्षण से चार से छः घण्टे पूर्व की आना दर्शित हो रही

थीं। चोट क्र05 साधारण प्रकृति की थी। चिकित्सक ने चोट क्र01 लगा. 04 एवं चोट क्र 06 के लिए आहत को एक्सरे की सलाह दी थी एवं आहत को जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया था। चिकित्सक का मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.06 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक साक्षी के हस्ताक्षर हैं। चिकित्सक साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है चोट क्र05 कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती है। चोट क्र06 व 07 पीठ की तरफ से कड़ी सतह पर गिरने से आ सकती थी। चिकित्सक साक्षी ने सुझाव में यह बताया है कि चोट क्र 01 लगा. 04 झूमाझटकी में कड़ी सतह में गिरने से आ सकती थी।

13— साक्षी डी.के.राउत अ.सा.04 का कहना है कि वह दिनांक 02.11.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 05.10.2012 को एक्सरे टेक्नीशियन ए.के.सेन ने आहत उमेश्वरी के बाये हाथ एवं हथेली का एक्सरे किया था जिसकी एक्सरे प्लेट क्र 4023 है जिसे डा. समद ने एक्सरे हेतु रिफर किया था। चिकित्सक ने एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर आहत के बायें हाथ की हथेली पर चौथी मेटाकार्पल हड्डी के हेड वाले भाग में अस्थिभंग होना पाया था कैलस नहीं था। चिकित्सक की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी.05 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति हाथ के बलपूर्वक कड़े स्थान पर गिर जाये तो उक्त आहत के जैसी चोट आ सकती है। चिकित्सक ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि थाने से आये हुए व्यक्ति के कहने पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी।

14— राजेश सनोडिया अ.सा.06 का कहना है कि वह दिनांक 04.10.2012 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी बिरसा के आदेश अनुसार अपराध क्र 123/12 की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को साक्षी ने प्रदीप कुमार तुरकर की निशोदेही पर मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। साक्षी ने गवाह प्रदीप, कौशनबाई, संतोष एवं उमेश्वरी के कथन लिये थे। साक्षी ने फरियादिया का मेडिकल फार्म भरकर शासकीय अस्पताल बिरसा भेजा था जो प्र.पी.06 है। साक्षी ने नेकलाल तुरकर एवं प्रदीप के समक्ष घटनास्थल से एक बांस का डंडा जिसकी लम्बाई 36 इंच ओर मोटाई 05 इंच कुल चार गठाने वाला जप्ती पंचनामा प्र.पी.03 के अनुसार जप्त किया था। अभियुक्त को गवाह रोनूसिंह एवं दलपतसिंह के समक्ष गिरफ्तार कर प्र.पी.07 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान की पुष्टि की है।

15— रौनूसिंह धुर्वे अ.सा.09 का कहना है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिसवाले थाना बिरसा में अभियुक्त को लेकर आये थे और उसके हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी के सामने अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 है। पुलिस ने साक्षी से पूछताछ नहीं की थी। घटना पुरानी होने के कारण साक्षी को पता नहीं है कि अभियुक्त को कितने बजे गिरफ्तार किया गया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय दलपतसिंह भी था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त को कहां गिरफ्तार किया गया था उसे पता नहीं है।

16— साक्षी दादूराम पटले अ.सा.10 का कहना है कि वह दिनांक 03.10.2012 को पुलिस थाना बिरसा मोहरीर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र 123/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादिया के बताये अनुसार लेखबद्ध की गयी थी। रिपोर्ट पर फरियादिया ने निशानी अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर फरियादिया के निशानी अंगूठा स्पष्ट नहीं है।

17— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादिया को अश्लील शब्द दिये जाने का प्रश्न है तो फरियादिया उमेश्वरी अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने उसे मां-बहन की गालियां दी हो। प्रदीप कुमार अ.सा.02, कौशनबाई अ.सा.03, संतोष अ.सा.07 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादिया को अश्लील गालियां दी थी। नेकलाल तुरकर अ.सा.08 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त उमेश्वरी को मादरचोद की गाली दे रहा था। गालियां उसको सुनने में बुरी लग रही थी परंतु फरियादिया उमेश्वरी ने उसकी साक्ष्य में किसी भी अश्लील गाली के बारे में नहीं बताया है। अश्लील गालियों के संबंध में नेकलाल तुरकर अ.सा.08 की साक्ष्य फरियादिया की साक्ष्य से समर्थित नहीं है। प्रतिपरीक्षण में नेकलाल तुरकर अ.सा.08 ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा गाली देते समय वह उसके घर पर था। यदि नेकलाल तुरकर अ.सा.08 अभियुक्त द्वारा गालियां दिये जाते समय उसके घर पर था तो नेकलाल ने अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियां कहा से सुनी थी उसकी साक्ष्य में नहीं बताया है। नेकलाल की साक्ष्य का समर्थन फरियादिया एवं प्रकरण के किसी अन्य साक्षीगण ने नहीं किया है। नेकलाल अ.सा.08 ने पुलिस को पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है। नेकलाल अ.सा.08 द्वारा घटना के समय अश्लील गालियां सुनने के संबंध में संदिग्धता है एवं नेकलाल अ.सा.08 की साक्ष्य का समर्थन

फरियादिया ने नहीं किया है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया था।

18— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादिया को जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है इस संबंध में उमेश्वरी अ.सा.01, प्रदीप कुमार अ.सा.02, कौशनबाई अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादिया को जान से मारने की धमकी दी थी। नेकलाल तुरकर अ.सा.08 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त ने फरियादिया उमेश्वरी को लाठी फेंककर जान से मारने की धमकी दी थी। संतोष अ.सा.07 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी थी। संतोष अ.सा.07 ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने जाते समय जान से मारने की धमकी किसे दी थी। संतोष अ.सा.07, नेकलाल तुरकर अ.सा.08 की जान से मारने की धमकी की साक्ष्य फरियादिया उमेश्वरी से समर्थित नहीं है। घटना दिनांक 03.10.2012 की है। फरियादिया ने घटना के लगभग सवा घण्टे बाद घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। यदि अभियुक्त फरियादिया को जान से मारने की धमकी देता तो फरियादिया घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट नहीं लिखा सकती थी। फरियादिया ने स्वयं ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के बारे में नहीं बताया है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

19— प्रकरण में अभियुक्त द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में फरियादिया ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त के द्वारा लठ से मारपीट करने के कारण उसे सिर, कंधे व पीठ में चोट आयी थी। प्रदीप कुमार अ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में केवल यह बताया है कि अभियुक्त ने फरियादिया के साथ बांस के डंडे से मारपीट की थी। परंतु पक्ष विरोधी होने के बाद इस साक्षी ने अभियुक्त द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट होने से इंकार किया है। इस साक्षी ने प्र.पी.04 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को बताने से इंकार किया है। इस साक्षी के साक्ष्य से फरियादिया के साथ हुई मारपीट का समर्थन नहीं होता है। कौशनबाई अ.सा.03 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त ने फरियादिया के सिर पर डंडा मारा था। संतोष अ.सा.07 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह बताया है कि घटना के समय व घटनास्थ पर उपस्थित नहीं था उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। इस कारण इस साक्षी

की साक्ष्य से फरियादिया के साथ हुई मारपीट का समर्थन नहीं होता है। नेकलाल तुरकर अ.सा.08 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त ने फरियादिया के साथ डंडे से मारपीट की थी। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने मारपीट होते हुए देखी थी।

20— प्रकरण में फरियादिया की साक्ष्य के अनुसार यह स्पष्ट है कि उसे मारपीट के कारण कंधे, पीठ और सिर में चोट आयी थी। प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यह लिखा है कि अभियुक्त ने फरियादिया को लकड़ी से सिर, पीठ, कंधे एवं दाहिने पैर पर मारकर उपहति कारित की थी। चिकित्सक हेमा बिसेन अ.सा.05 ने उनकी साक्ष्य से फरियादिया के सिर, पीठ, दाहिने हाथ की कोहनी की उपहति का समर्थन किया है। परंतु चिकित्सक डी.के.राउत ने फरियादिया को एक्सरे परीक्षण में बायें हाथ की हथेली पर अस्थिभंग होना पाया था। परंतु फरियादिया के द्वारा लिखायी गयी प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि अभियुक्त के द्वारा की गयी मारपीट के कारण फरियादिया के बायें हाथ की हथेली में चोट आयी थी। फरियादिया ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादिया के बायें हाथ की हथेली में मारपीट कर उसे उपहति कारित कर अस्थिभंग की थी। फरियादिया की साक्ष्य एवं प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादिया की बायें हथेली की उपहति के संबंध में विरोधाभास है। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने फरियादिया के बायें हाथ में लाठी से मारपीट कर बायें हाथ में अस्थिभंग कारित कियाथा। परंतु फरियादिया एवं नेकलाल तुरकर अ.सा.08 की साक्ष्य से यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने फरियादिया के साथ मारपीट कर फरियादिया के कंधे, पीठ और सिर में उपहति कारित की थी। फरियादिया ने उसकी साक्ष्य में उसे बायें हाथ में उपहति आना एवं अस्थिभंग होना नहीं बताया है। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध फरियादिया के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 के स्थान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 का आरोप प्रमाणित माना जाता है।

21. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 के स्थान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है।

अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

22 अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट म.प्र.

// दण्डाज्ञा //

23. अभियुक्त को आपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा-4 के उपबंधों का लाभ दिये जाने पर विचार किया गया। अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। किन्तु अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को उक्त उपबंधों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

24. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता श्री तारेन्द्र तुरकर को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास से एवं 300/- (तीन सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताये जावे। प्रकरण पांच वर्ष से अधिक पुराना है। प्रकरण में उक्त अवधि में अभियुक्त ने प्रकरण के विचारण का निरंतर सामना किया है। इस कारण अभियुक्त को कम दण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को दिये गये दण्ड से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है।

25. अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

26. प्रकरण में जप्तशुदा बांस का डंडे अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट